कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक / 666 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू. / 2021 बलौदाबाजार, दिनांक 31 मार्च 2021

राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड–19) नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय–समय पर स्वतः छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई, जिसमें वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों / शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु इस कर्यालय के आदेश क्रमांक 636 / अजिद / एस.डब्ल्यू. / 2021 दिनांक 24 मार्च 2021 के द्वारा संपूर्ण बलौदाबाजार–भाटापारा जिला अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गयी है।

जिले में प्रभावशील धारा 144 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बलौदाबाजार–भाटापारा जिले के सीमा क्षेत्र भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

क्र.	दुकानों / संस्थानों की कार्यावधि	दुकानों / संस्थानों का वर्ग
1	प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें
2	प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक	रेस्टोरेंट / होटल / ढाबा में केवल रात्रि 10 बजे तक इनडोर डायनिंग
3	रात्रि 11.30 बजे तक	रेस्टोरेंट / होटल / ढाबा से केवल टेक–अवे एवं होम डिलीवरी

- पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे।
- सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा।
- सभी व्यापारियों / कर्मचारियों / ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
- सभी व्यवसायियों को अपने दुकान / संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय / वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं / सेवाओं का विक्रय किया जावे।
- प्रत्येक दुकान / संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेंगे एवं उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा।
- यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी दुकान / संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जावेगा।

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय होंगे।

यह आदेश तत्काल एवं आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

District Magistrate Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

31.03.

(सुनील कुमार जैन)
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा

District Magistrate
Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

पृ. क्रमांक/667/अजिद/एस.डब्ल्यू./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 31 मार्च 2021

प्रतिलिपिः—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार—भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. वनमंडलाधिकारी, बलौदाबाजार—भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार—भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. अति.जिला दंडाधिकारी, बलौदाबाजार—भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इंसिडेंट कमाण्डर बलौदाबाजार/भाटापारा/सिमगा/बिलाईगढ/कसडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., बलौदाबाजार—भाटापारा, की ओर इस आदेश की एक प्रति स्कैन कर, जिला की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. तहसीलदार/कार्यपालिक दंडाधिकारी समस्त जिला बलौदाबाजार—भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बलौदाबाजार/भाटापारा/सिमगा/बिलाईगढ़/ कसडोल को सूचनार्थ एवं उचित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
12. मुख्य नगर पालिका/पंचायत अधिकारी, (समस्त) बलौदाबाजार—भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग, बलौदाबाजार—भाटापारा, को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

31.03.

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा

District Magistrate
Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

Scanned with CamScanner